न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री **उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2017/174 दायरा दिनांक 20.06.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र स्व. सम्मानसिंह जाति राजपूत निवासी थाणू तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना 2. गोगलकंवर पत्नि सम्मानसिंह 3. भंवरकंवर पुत्री सम्मानसिंह 4. ओमकंवर पुत्री सम्मानसिंह 5. गोविन्दकंवर पुत्री सम्मानसिंह 6. निशाकंवर उर्फ मनोजकंवर पुत्री सम्मानसिंह 7. सरोजकंवर पुत्री सम्मानसिंह 8. राजेन्द्रसिंह पुत्र किशोरसिंह 9. महेन्द्रसिंह पुत्र किशोरसिंह 10. सुरेन्द्रसिंह पुत्र किशोरसिंह 11. कमलकंवर पत्नि किशोरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी थाणू तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)

दावा बाबत्

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित—

1. श्री समन्दरसिंह नाथावत, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री राजेश कुमार राखेचा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण सं0 02 ,ता 11

—:: निर्णय ::—

दिनांक **11.09.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा थाणू की शहरद मे खेत ख.न. 78 रकबा 46 बीघा 14 बिस्वा,स्थित है।उक्त खसरे के 1/2हिस्से की जमीन सम्मानसिंह पुत्र मघसिंह के वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 18 व किशोरसिंह पुत्र मघसिंह के वारिसान

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजेन्द्रसिंह महेन्द्रसिंसुरेन्द्रसिंह व पत्नि कमलकंवर की पैत्रिक व कब्जे काश्त की है।नकल खतौनी सम्वत 2070–2073 पेश है।

वादी संख्या एक के दादा मघसिंह के दो पुत्र सम्मानसिंह, व किशोरसिंह, हुए। मघसिंह फौत हो चुके है। मघसिंह के पुत्र सम्मानसिंह भी फौत हो चुके हैं। सम्मानसिंह के वारिसान में वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 है।व मघसिंह के पुत्र किशोरसिंह भी फौत हो चुके हैं। किशोरसिंह के वारिसान में पुत्रगण राजेन्द्रसिंह महेन्द्रसिंह सुंरेन्द्रसिंह व पत्नि कमलकंवर है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 के पिता व पति सम्मानसिंह पुत्र मघसिंह अपने धन्धे के सिलसिले में शिल्फ कॉलोनी भाभा मार्ग झोटवाडा जयपुर में निवास करते थें। और वही पर निवास करने लग गये थे।वर्षा के समय अपने गॉव में स्थित मकान में आकर अपने खेतो में खेती करते है।तथा खेती उवेर कर वापस जयपुर चले जाते हैं।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 के पिता व पति सम्मानसिंह पुत्र मघसिंह का स्वर्गवास दिनाकं 11.01.2000 को हो चुका है।तथा खेत ख.न. 78 रकबा 46 बीघा 14 बिस्वा,की खातेदारी में सम्मानसिंह पुत्र मघसिंह का नाम सम्मानसिंह पुत्र भगसिंह दर्ज हो जाने ने पटवारी हल्का ने सम्मानसिंह पुत्र मघसिंह के वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 के नाम फौतगी म्युटेशन भरने से मना कर दिया जबकि सम्मानसिंह पुत्र मघसिंह के अन्य खेतो की खातेदारी में सम्मानसिंह के वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 07 के नाम फौतगी म्युटेशन दर्ज हो गया।

वादी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है वादी के पिता सममानसिंह के पिता का नाम मघसिंह ही था मगर पैन पिसिगं या सेवन से मघसिंह के स्थान पर भगसिंह दर्ज हो गया जबकि सम्मानसिंह के अन्य दस्तावेजो में सम्मानसिंह के पिता का नाम मघसिंह ही दर्ज है।

खेत ख.न. 78 रकबा 46 बीघा 14 बिस्वा,की खातेदारी में सम्मानसिंह पुत्र मघसिंह का नाम सम्मानसिंह पुत्र भगसिंह दर्ज हो जाने से सम्मानसिंह पुत्र मघसिंह के नाम से जारी सम्मानसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र से सम्मानसिंह का फौतगी म्युटेशन में वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 का नाम खातेदारी में दर्ज करने के लिए पटवारी हल्का द्वारा मना कर देने से वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के जायज खातेदारी अधिकार खतरे में पड. गये है। जिस हेतु वादीगण को घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का दावा पेश करना लाजमी हुआ है। दावा घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का पेश है।

उक्त खेत ख. न. 78 के अन्य सह–काश्तकार के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई रिलिफ नही चाही गई है। इसलिए उक्त खेतो के सह–काश्तकार को इस वाद मे पक्षकार नही बनाया गया है।क्योकि सम्मानसिंह पुत्र मघसिंह पहले से उपरोक्त खेत का खातेदार था। उनके फौत होने पर उनके जायज वारिसान का नाम सम्मानसिंह के स्थान पर दर्ज होना है।इससे सहखातेदारान का हित प्रभावित नही हो रहा है।वादी केवल सम्मानसिंह के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 का

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नाम पटवारी ने मयुटेशन नही भरने के कारण अदालत की शरण मे आया है।

प्रार्थना वादी है कि

वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे तथा मौजा थाणू की शहरद मे खेत ख.न. 78 रकबा 46 बीघा 14 बिस्वा, की जमीन के खातेदार सम्मानसिंह पुत्र भगसिंह के नाम की खातेदारी के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के नाम खातेदारी घोषित की जाकर तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती फरमाई जावे।तथा उपरोक्त खेत के खातेदार सम्मानसिंह पुत्र भगसिंह का नाम खातेदारी से हटाया जाने का आदेश फरमाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 30.06.2017 को प्रतिवादी संख्या 01 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए प्रतिवादी संख्या 01 बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने से एक पक्षिये कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 11 ने न्यायालय में राजीनामा पेश किया। पक्षकारान् जरिये राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमत हैं।

वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 11 द्वारा पेश किये गये राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गई जिसे पक्षकरान् द्वारा बिना किसी लालच या दबाव के सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री संमदरसिंह नाथावत ने की व प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार राखेचा ने की। अतः बख्वाहिश राजीनामा पक्षकारान् तस्दीक किया गया।

पक्षकारान् ने राजीनामा पेश कर इस्तदुआ की कि मौजा थाणू की शहरद मे खेत ख.न. 78 रकबा 46 बीघा 14 बिस्वा, की जमीन के खातेदार सम्मानसिंह पुत्र भगसिंह के नाम की खातेदारी के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के नाम खातेदारी घोषित की जाकर तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती फरमाई जावे।तथा उपरोक्त खेत के खातेदार सम्मानसिंह पुत्र भगसिंह का नाम खातेदारी से हटाया जाने का आदेश फरमाया जावें।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

:—आदेश—:

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, मौजा थाणू की शहरद मे खेत ख.न. 78 रकबा 46 बीघा 14 बिस्वा, की जमीन के खातेदार सम्मानसिंह पुत्र भगसिंह के नाम की खातेदारी के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के नाम खातेदारी घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्त किया जाकर उपरोक्त खेत के खातेदार सम्मानसिंह पुत्र भगसिंह का नाम खातेदारी से हटाया जाता है।राजीनामा, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डीडवाना
सहायक (कलक्टर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **11.09.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डीडवाना
सहायक (कलक्टर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदद्में इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/174** दायरा दिनांक **20.06.2017**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र स्व. सम्मानसिंह जाति राजपूत निवासी थाणू तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना 2. गोगलकंवर पत्नि सम्मानसिंह 3. भंवरकंवर पुत्री सम्मानसिंह 4. ओमकंवर पुत्री सम्मानसिंह 5. गोविन्दकंवर पुत्री सम्मानसिंह 6. निशाकंवर उर्फ मनोजकंवर पुत्री सम्मानसिंह 7. सरोजकंवर पुत्री सम्मानसिंह 8. राजेन्द्रसिंह पुत्र किशोरसिंह 9. महेन्द्रसिंह पुत्र किशोरसिंह 10. सुंरेन्द्रसिंह पुत्र किशोरसिंह 11. कमलकंवर पत्नि किशोरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी थाणू तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

दिनांक **11.09.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री समन्दरसिंह नाथावत अधिवक्ता, वादी व राजेश कुमार राखेचा अधिवक्ता, प्रतिवादी सं0 02,ता 11 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर मौजा थाणू की शहरद मे खेत ख.न. 78 रकबा 46 बीघा 14 बिस्वा, की जमीन के खातेदार सम्मानसिंह पुत्र भगसिंह के नाम की खातेदारी के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 07 के नाम खातेदारी घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्त किया जाकर उपरोक्त खेत के खातेदार सम्मानसिंह पुत्र भगसिंह का नाम खातेदारी से हटाया जाता है।राजीनामा, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत..................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

की तारीख को अदा करें। बसबब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **11.09.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	पया	से	मुदायलह	पया	पैसे
म्प अर्जीदावा म्प वकालतनामा म्प वजह सबूत नताना वकील र्चा गवाहान स कमिश्नर त इजराय मनामा फर्रिक			म्प वकालतनामा म्प अर्जी नताना वकील र्चा गवाहान स कमिश्नर त इजराय हुक्मनामा फर्रिक		
जान			जान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner